न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं.

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)
मिसल नं. ::: 89/2017
सरकार बनाम श्योनन्द पुत्र बीरबलराम, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ कलां

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल श्योनन्द पुत्र बीरबलराम, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ कलां द्वारा रोही मौजा कुलोठ कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 897/482 के कुल रकबा 0.59 है0 किस्म बा–I में से रकबा 1465 वर्गमीटर भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए दिनांक 03.03.2017 को निर्णय बेदखली का पारित कर दिया गया। गैर सायल ने न्यायालय हाजा के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं में पेश की। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं ने अपील संख्या 51/2017 में निर्णय दिनांक 17.04.2017 'को पारित किया कि अपील अपीलान्ट न्यायोचित होने से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2017 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वह अपील में वर्णित भूमि की किस्म की जांच कर व अपीलान्ट हो दस्तावेज पेश करने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें। इस पर प्रकरण पुनः प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। राजस्व लोक अदालत कैम्प दिनांक 30.05.2017 को ग्राम पंचायत कुलोठ कलां में गैर सायल ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया किया कि वह अपने हिस्से की पैतृक भूमि पर मकान बनाकर रहता है। सरकारी भूमि पर ना ही किसी तरह का कब्जा किया हुआ है। अगर कोई ऐतराज हो तो ख.नं. 897/482 रकबा 0.59 है0 की नपती करवाकर मेरे को अवगत कराया जावे। चूंकि भूमि की किस्म बारानी–I है। जो सिवायचक भूमि है। प्रार्थी को नोटिस सरकारी भूमि पर तारबन्दी बाबत दिया गया था, जबकि जवाब में उसने अपने मकानो का वर्णन किया है तथा सरकारी भूमि का सीमाज्ञान किया जाना चाहा है। इसके बाद गैर सायल ने दिनांक 31.05.2017 को एक जवाब ओर पेश किया जिसमें अपनी कृषि भूमि ख.नं. 487, 488, 489, 490 में तारबन्दी कर आबाद होना बताया, सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही होना बताया। शिकायत राजनैतिक द्वैषतावश व आपसी रंजिस से किया जाना बताया। अपनी भूमि का सीमाज्ञान करनवाने हेतु जवाब में लिखा है। गैर सायल का जवाब सही नही माना जा सकता है। गैर सायल अपने खेत का सीमाज्ञान पृथक से आवेदन कर नियमानुसार करवाने हेतु स्वतंत्र है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 8 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 5/- कायम किए
राजस्व लेखाकार